बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग,
हवाई अड्डा, पटना–800014

TEL. No:- 0612-2225659, 2224423
e-mail-cadbihar@bihar.gov.in

पत्रांकः– सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023– 369 पटना, दिनांक– 28/07/2026

प्रेषक,

मो० राशिद हुसैन,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,
पटना।

द्वारा,

वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– मांग संख्या–55 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमानपत्तन–102–हवाई अड्डा–01 03–हवाई अड्डे विपत्र कोड–55–5053021020103 अन्तर्गत बीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र का प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

1. समाहर्त्ता, सुपौल के पत्रांक–1237, दिनांक–03.06.2026 द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत बीरपुर हवाई अड्डा के विकास हेतु अर्जित किये गये भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु प्रतिकर/प्राक्कलन की गणना करते हुए पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि ₹42,37,78,478/– (बयालीस करोड़ सैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अठहत्तर रूपये) मात्र से हितबद्ध रैयतों को भुगतान करने हेतु अनुमति देने के साथ अंतर राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेख किया गया है कि परियोजना हेतु अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत MVR के अनुसार अनुमानित प्रतिकर/प्राक्कलन की गणना की गई है। RFCTLARR-2013 की धारा–11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्राकाशन की तिथि से विगत 03 वर्ष का विक्रय–आँकड़ा निबंधन कार्यालय से प्राप्त की जाती है। इस संबंध में मौजा–बीरपुर अंतर्गत कुल 24.870 एकड़ में से 23.18 एकड़ रैयती एवं सरकारी भूमि–1.69 एकड़, मौजा–परमानंदपुर अंतर्गत कुल 19.190 एकड़ रैयती तथा मौजा–पिपराहीनाग अंतर्गत 44.77 एकड़ में से 20.11 एकड़ रैयती, आवासीय 6.12 एकड़ एवं सरकारी भूमि 18.54 एकड़ अर्थात कुल रैयती भूमि 68.60 एकड़ तथा सरकारी भूमि 20.23 एकड़ है।

2. बीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र का मांग संख्या–55 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमान पत्तन–102–हवाई अड्डा–01 03–हवाई अड्डे विषय शीर्ष 53 02 भू–अर्जन मद, विपत्र कोड–55–5053021020103 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में बीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में BOS3 से अधिक का दायित्व सृजित होने के कारण वित्त विभाग का संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–14 में निहित प्रावधान के आलोक में BOS3 की निर्धारित अधिसीमा से आगे

Scanned with OKEN Scanner

की स्वीकृति के प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति अनुशंसा संचिका संख्या–सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023 के पृष्ठ–482–481/प० पर प्राप्त है।

4. उपर्युक्त के आलोक में मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक–01.07.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या–19 के रूप में सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। इस संबंध में व्यय के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023 के पृष्ठ–101/टि० पर प्राप्त है।

5. विशेष कार्य पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल विमानन विभाग, पटना, द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा संचालित पी०डी० खाता धारक का नाम–District Land Acquisition Office, Supaul, पी०डी० खाता संख्या–SPLPDA002, Ledger ID.-24011 में राशि का अंतरण किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गयी है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं व्यय विवरणी के साथ कोषागार चालान जिलाधिकारी एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति इस विभाग को योजना की स्वीकृति के छः माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाएगा।

7. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखा नियंत्रक एवं लेखाकार परीक्षक को होगा।

8. प्रस्ताव पर सचिव, सिविल विमानन विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023 के पृष्ठ–105/टि० पर प्राप्त है।

9. पूर्व निर्गत राज्यादेश संख्या–335, दिनांक–06.07.2026 को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/07/26

(मो० राशिद हुसैन)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांकः– सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023– 369 पटना, दिनांक– 28/07/2026

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/अर्थोपाय शाखा वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना/लेखा शाखा, सिविल विमानन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार/अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/07/26

(मो० राशिद हुसैन)
विशेष कार्य पदाधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

बिहार सरकार
सिविल विमानन विभाग,
हवाई अड्डा, पटना–800014

TEL. No:- 0612-2225659, 2224423
e-mail-cadbihar@bihar.gov.in

पत्रांकः– सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023– 335 पटना, दिनांक– 06/07/2026

प्रेषक,

अखिलेश कुमार सिंह, भा०प्र०से०
अपर सचिव

अनौपचारिक रुप से परामर्शित

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल मार्ग,
पटना।

द्वारा,

वित्त विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– **मांग संख्या–55 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष–5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमानपत्तन–102–हवाई अड्डा–01 03–हवाई अड्डे विपत्र कोड–55–5053021020103 अन्तर्गत बीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र का प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश–स्वीकृत।

1. समाहर्त्ता, सुपौल के पत्रांक–1237, दिनांक–03.06.2026 द्वारा सुपौल जिलान्तर्गत बीरपुर हवाई अड्डा के विकास हेतु अर्जित किये गये भूमि के मुआवजा भुगतान हेतु प्रतिकर/प्राक्कलन की गणना करते हुए पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि ₹42,37,78,478/– (बयालीस करोड़ सैंतीस लाख अठहत्तर हजार चार सौ अठहत्तर रूपये) मात्र से हितबद्ध रैयतों को भुगतान करने हेतु अनुमति देने के साथ अंतर राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

उल्लेख किया गया है कि परियोजना हेतु अधियाचना प्राप्त होने के उपरांत MVR के अनुसार अनुमानित प्रतिकर/प्राक्कलन की गणना की गई है। RFCTLARR-2013 की धारा–11(1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना प्राकाशन की तिथि से विगत 03 वर्ष का विक्रय–आँकड़ा निबंधन कार्यालय से प्राप्त की जाती है। इस संबंध में मौजा–बीरपुर अंतर्गत कुल 24.870 एकड़ में से 23.18 एकड़ रैयती एवं सरकारी भूमि–1.69 एकड़, मौजा–परमानंदपुर अंतर्गत कुल 19.190 एकड़ रैयती तथा मौजा–पिपराहीनाग अंतर्गत 44.77 एकड़ में से 20.11 एकड़ रैयती, आवासीय 6.12 एकड़ एवं सरकारी भूमि 18.54 एकड़ अर्थात कुल रैयती भूमि 68.60 एकड़ तथा सरकारी भूमि 20.23 एकड़ है।

2. बीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र का मांग संख्या–55 के अंतर्गत मुख्य शीर्ष–5053–नागर विमानन पर पूँजीगत परिव्यय–02–विमान पत्तन–102–हवाई अड्डा–01 03–हवाई अड्डे विषय शीर्ष 53 02 भू–अर्जन मद, विपत्र कोड–55–5053021020103 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026–27 में उपबंधित राशि से विकलित होगा।

3. वित्त विभाग के परामर्श के आलोक में बीरपुर हवाई अड्डा के विकास के लिए 88.83 एकड़ भूमि अर्जित किये जाने हेतु राज्य स्कीम मद से अतिरिक्त अनुमानित मुआवजा राशि ₹29,56,99,196/– (उनतीस करोड़ छप्पन लाख निन्यानवे हजार एक सौ छियानवे रूपये) मात्र की स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष 2026–27 में BOS3 से अधिक का दायित्व सृजित होने के कारण वित्त विभाग का संकल्प संख्या–12888, दिनांक–03.12.2024 की कंडिका–14 में निहित प्रावधान के आलोक में BOS3 की निर्धारित अधिसीमा से आगे

Scanned with OKEN Scanner

की स्वीकृति के प्रस्ताव पर लोक वित्त समिति अनुशंसा संचिका संख्या–सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023 के पृष्ठ–482–481/प० पर प्राप्त है।

4. उपर्युक्त के आलोक में मंत्रिपरिषद द्वारा दिनांक–01.07.2026 को संपन्न बैठक में मद संख्या–19 के रूप में सम्मिलित करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया गया। इस संबंध में व्यय के प्रस्ताव पर माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023 के पृष्ठ–101/टि० पर प्राप्त है।

5. अपर सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सिविल विमानन विभाग, पटना, द्वारा जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा संचालित पी०डी० खाता धारक का नाम–District Land Acquisition Office, Supaul, पी०डी० खाता संख्या–SPLPDA002 में राशि का अंतरण किया जायेगा।

6. इस राशि का उपयोग उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिस कार्य के लिए स्वीकृति दी गयी है। किसी अन्य मद में इस राशि का उपयोग कदापि नहीं किया जायेगा। इस राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र एवं व्यय विवरणी के साथ कोषागार चालान जिलाधिकारी एवं जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, सुपौल द्वारा सीधे महालेखाकार को भेजते हुए उसकी एक प्रति इस विभाग को योजना की स्वीकृति के छः माह के अन्दर उपलब्ध कराया जाएगा।

7. इस राशि के अंकेक्षण का अधिकार महालेखा नियंत्रक एवं लेखाकार परीक्षक को होगा।

8. प्रस्ताव पर सचिव, सिविल विमानन विभाग का अनुमोदन संचिका संख्या–सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023 के पृष्ठ–105/टि० पर प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

ज्ञापांकः– सि०वि०नि० (योजना)–10–05/2023–335 पटना, दिनांक–06/07/2026

प्रतिलिपिः– वित्त विभाग, बजट शाखा/अर्थोपाय शाखा वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, बिहार, पटना/लेखा शाखा, सिविल विमानन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार/अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, नई दिल्ली को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अखिलेश कुमार सिंह)
अपर सचिव

Scanned with OKEN Scanner